HARYANA STATE LOTTERIES

The 22nd December, 1978

No. DOL/HR/ATO/Fatehabad/488.—The Governor of Haryana is pleased to select the following persons for the supervision of the 140th Draw held on 22nd December, 1978 at Fatehabad :—

1. Mrs. Kiran Rao,
   w/o Shri M. S. Rao, HCS,
   Sub-Divisional Magistrate,
   Fatehabad.
2. Dr. Mrs. Rajinder Mehtani,
   Vice-Chairman,
   Family and Child Welfare Project,
   Fatehabad.
3. Dr. Mrs. Madhu Sharma,
   City Nursing Home,
   Fatehabad.
4. Shri Dharam Singh,
   Deputy Superintendent of Police,
   Fatehabad.
5. Dr. Kuldip Kumar,
   Senior Medical Officer,
   Fatehabad.

(Sd.) . . . ,
Director, Haryana State Lotteries
and Joint Secretary to Government, Haryana,
Finance Department.

राजस्व विभाग

युद्ध जागीर

दिनांक 20 दिसम्बर, 1978

क्रमांक **1821-ज (I)-78/36222**.—श्री तारा सिंह, पुत्र श्री जी राम, गांव बादल, तहसील चरखीदादरी, जिला भिवानी, को दिनांक 26 फ़रवरी, 1978 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2 (ए)(1) तथा 3(1) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहर्ष आदेश देते हैं कि श्री तारा सिंह, को मुब्लिग 150 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे पंजाब/हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 10707-जे० एन०(III)-66/18348, दिनांक 25 अगस्त, 1966 तथा अधिसूचना क्रमांक 5041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970, द्वारा मंजूर की गई थी अब उसकी विधवा श्रीमती मनभरी के नाम खरीफ, 1978 से 150 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।

दिनांक 21 दिसम्बर, 1978

क्रमांक **1897-ज (II)-78/36328**.— पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री रतन सिंह, पुत्र श्री कांशी राम, गांव चुलाना, तहसील व जिला रोहतक को खरीफ़, 1976 से 150 रु० वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं ।

सी० एस० राणा,
उप-सचिव, हरियाणा सरकार,
राजस्व विभाग।

LATE NOTIFICATIONS